पत्रांक /560/ आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर /पत्रा0 109(14.15)/ विधि–अनुभाग /2015–16

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग

देहरादून::दिनांकः अप्रैल, 2015

30.04.15

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 156/2013/09(120)/XXVII(8)/2011 दिनांक 11 फरवरी 2013 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्व हित में यह आवश्यक हो गया है कि उत्तराखण्ड के बाहर से ट्रेडिंग हेतु खाद्य तेल, जिसमें रिफाइन्ड तेल भी सम्मिलित हैं, का आयात करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के द्वारा आयात के लिये घोषणा पत्र की मांग करने पर धारा- 20(5) के अन्तर्गत नकद जमानत जमा कराने के बाद ही आयात घोषणा पत्र जारी किये जायें। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य तेल को प्रचलित थोक बाजार भाव के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है :–

1– (प्रथम श्रेणी) सरसों का तेल तथा ऐसे अन्य सभी तेल जो निम्न श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हैं।

2– (द्वितीय श्रेणी) सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल तथा कॉटनसीड ऑयल।

3– (तृतीय श्रेणी) पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कॉर्न ऑयल।

4– (चतुर्थ श्रेणी) वनस्पति

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्तमान में प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 68,000/–, द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 60,000/– प्रति टन, तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 48,000/– प्रति टन तथा चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत वनस्पति की दर 60000/– प्रति टन तक के भाव होने की जानकारी मिली है।

अतः धारा-20(5) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि खाद्य तेल के ट्रेडर द्वारा प्रान्त बाहर से उपरोक्त श्रेणी के खाद्य तेल के आयात के लिये आयात घोषणा पत्र की मांग करने पर निम्न प्रकार जमानत जमा करने के बाद ही आयात घोषणा पत्र जारी किया जाये।

1– सरसों का तेल तथा अन्य अवर्गीकृत खाद्य तेल (प्रथम श्रेणी) रू0 3400/–प्रति मी0टन

2–सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल तथा कॉटनसीड ऑयल (द्वितीय श्रेणी) रू0 3000/– प्रति मी0 टन

v/notification/15-16/29415/6

4– हाइड्रोजनेटेड ऑयल या वनस्पति (चतुर्थ श्रेणी) रू0 3000/– प्रति मी0 टन

माल का वजन पूरे–पूरे टनों में न होने पर भी जमानत राशि की गणना पूर्णांकों में की जाएगी। जैसे 94 कुन्तल माल के आयात के लिये भी 100 कुन्तल (10 टन) माल के लिए देय जमानत ली जाएगी।

इस आदेश के मुख्य बिन्दु एवं उनके कियान्वयन हेतु अपनाये जाने वाली प्रकिया निम्न प्रकार है :–

1–इस परिपंत्र के जारी होने की तिथि से कर–निर्धारण अधिकारी केवल जमानत प्राप्त करके ही खाद्य तेलों हेतु फॉर्म 16 जारी करेंगे। यद्यपि पूर्व में जारी आयात घोषणा पत्रों के आधार पर भी उपरोक्त वर्णित विभिन्न श्रेणियों के खाद्य तेल का आयात दि0 15.05.2015 तक किया जा सकेगा, परन्तु दिनांक 15.05.2015 के बाद आयात केवल ऐसे आयात घोषणा–पत्रों से ही किया जा सकेगा, जिन्हें नगद जमानत जमा करके प्राप्त किया गया हो। इसी क्रम में इस समय जो भी आयात घोषणा–पत्र आयातकर्ता ट्रेडर्स के पास अवशेष हों, उन्हें उनके सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी दिनांक 16.05.2015 को ब्लॉक कर देंगे। साथ ही आयातकर्ता ट्रेडर्स स्वयं भी अपने अवशेष फार्म कार्यालय को वापस करते हुए उपरोक्तानुसार जमानत जमा करके पुनः आयात घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगें।

2– इस समय जो भी आयात घोषणा–पत्र माल भेजने वालों के पास हो या मार्ग में हो उन्हें भी वापस मंगाकर व्यापार कर कार्यालयों को वापस करते हुए नगद जमानत जमा कर जमानतशुदा फार्म प्राप्त कर लिये जाए।

3– नगद जमानत जमा होने पर जारी आयात घोषणा पत्रों में इस आशय की मोहर लगायी जाएगी कि किस श्रेणी के कितने टन (शब्दों में) माल के आयात के लिए आयात घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि उक्त श्रेणियों के लिए अलग–अलग दो प्रकार की मोहरें बनवायी जाये। मोहर बोल्ड अक्षरों में बनवायी जाये। प्रथम प्रकार की मोहर का प्रारूप निम्न प्रकार है जिसे मुखपृष्ठ पर लगाया जाएगा।:–

केवल..... मी0टन प्रथम श्रेणी के खाद्य तेलों के आयात के लिये।

केवल..... मी0टन द्वितीय श्रेणी के खाद्य तेलों के आयात के लिये।

केवल..... मी0टन तृतीय श्रेणी के खाद्य तेलों के आयात के लिये।

केवल..... मी0टन तृतीय श्रेणी के वनस्पति के आयात के लिये।

कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के माल के विवरण की भी एक–एक मोहर बनाएँगे तथा जिस श्रेणी हेतु फॉर्म जारी किया गया है उससे सम्बन्धित मोहर फॉर्म के पृष्ठ भाग में लगाएँगे।

4– दिनांक 15.05.2015 के पश्चात बिना जमानत जमा आयात घोषणा–पत्रों से माल आने पर, यदि ऐसे फॉर्म के आधार पर ट्रिपशीट बनायी जा चुकी है, तब ऐसे मामलों में सचलदल

अधिकारी डिटेन्शन मेमों जारी करेंगे तथा इन्वाइस पर घोषित माल के मूल्य अथवा माल के घोषित वजन के अनुसार इस परिपत्र में श्रेणी वार दिए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में जो अधिक हो, का 5 प्रतिशत जमानत लेकर माल अवमुक्त करेंगे।

5– यदि जारी आयात घोषणा पत्र में अनुमन्य मात्रा से अधिक मात्रा या अनुमन्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी का खाद्य तेल आयात किया जा रहा हो, तथा समस्त माल को श्रेणी सहित ट्रिप शीट में घोषित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में सचल दल अधिकारी द्वारा वाहन रोककर डिटेन्शन मीमो जारी किया जायेगा एवं आयात किये जा रहे माल पर श्रेणी के अनुसार कुल जमानत की गणना कर, फार्म प्राप्त करते समय वास्तव में जमा हुई धनराशि के अन्तर के बराबर अग्रिम कर के रूप में जमानत जमा कराकर माल को जाने देंगे। इस प्रकार जमा कराई गई जमानत का लाभ आयात कर्ता को पुनः फार्म–16 प्राप्त करते समय/कर निर्धारण के समय रसीद प्रस्तुत करने पर या सचल दल से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जमा कर के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार जमा कराई गई जमानत पर अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

ऐसे मामलों में जहॉ सचल दल अधिकारी द्वारा कोई जमानत जमा नहीं कराई गई है, वहॉ कर निर्धारण अधिकारी अगली बार आयात घोषणा पत्र जारी किये जाने से पहले पूर्व में आयातित माल पर जमानत की गणना कर, शेष धनराशि (पूर्व में जमा धनराशि कम होने की स्थिति में) जमा करायेंगे, तदुपरांत ही नए आयात घोषणा पत्र जारी करेंगे।

6– प्रत्येक बार फॉर्म 16 प्राप्त करते समय उस समय तक के वास्तविक आयात, जमानत राशि से समायोजन आदि का विवरण उस समय तक प्रयुक्त फॉर्म 16 की मूल प्रतियों सहित कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

7– उक्त प्रकार से आयात घोषणा पत्र प्राप्त करते समय जमा करायी गई जमानत की धनराशि का समायोजन व्यापारी द्वारा नियमित नक्शों में घोषित टर्नओवर पर देयकर/निर्धारित कर के विरूद्ध किया जायेगा। उक्त प्रकार से आयात घोषणा पत्र प्राप्त करते समय किसी व्यापारी द्वारा जमा कराई गयी जमानत का समायोजन, व्यापारी द्वारा नियमित नक्शों में घोषित बिक्री पर देय कर से किया जायेगा। यदि जमा जमानत की धनराशि, देय कर से समायोजन के उपरान्त शेष रह जाती है, तो इस प्रकार अधिक जमा जमानत को अगले आयात घोषणा पत्र प्राप्त करने हेतु देय जमानत की राशि में समायोजित किया जायेगा किन्तु यदि व्यापारी द्वारा नक्शों में कोई बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर किसी फार्म यथा फार्म एफ, एच, सी या 11/ प्रमाण पत्र के विरूद्ध करते हुये देय कर में छूट का दावा किया जाता है, तो ऐसे मामलों में उस बिक्री /स्टॉक ट्रांसफर पर छूट के दावे की राशि के बराबर की धनराशि के समायोजन का लाभ इस बिक्री के दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये फार्म/प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाने के बाद दिया जायेगा।

8– उक्त प्रकार के मामलों में कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्म/प्रमाण पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे, जिन फार्म/ प्रमाण पत्र का सत्यापन उत्तराखण्ड राज्य से ही होना है उनमे सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सत्यापन कर सूचना प्रेषित करेंगे। अन्य राज्यों को प्रेषित सूचना में यदि 15 दिनों तक काई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इस सम्बन्ध में अनुस्मारक प्रषित किया जायेगा परन्तु एक माह के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त न होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित

फार्मों/प्रमाण पत्रों की सूची एडिशनल कमिश्नर जोन को प्रेषित की जायेगी तथा जोनल एडिशनल कमिश्नर द्वारा किसी अधिकारी को सम्बन्धित राज्य में भेजते हुये सत्यापन का कार्य, सूची प्राप्त होने के एक माह में पूर्ण कराया जायेगा।

यह परिपत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा। उपरोक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0/ 560 /दिनांकः 30-04-15

प्रतिलिपि :– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त एंडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
2– ज्वाइन्ट कमिश्नर (का0पा0) देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

v/notification/15-16/29415/9